क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97
13.	महाराष्ट्र	15150.04
14.	मणिपुर	182.82
15.	मेघालय	213.92
16.	मिजोरम	90.12
17.	नागालैंड	229.31
18.	उड़ीसा	11274.49
19.	पंजाब	871.51
20.	राजस्थान	7317.12
21.	सिक्किम	83.49
22.	तमिलनाडु	12563.97
23.	त्रिपुरा	237.46
24.	उत्तर प्रदेश	33867.93
25.	पश्चिम बंगाल	12455.47
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	84.41
27.	दादरा व नगर हवेली	45.81
28.	दमन व द्वीप	26.99
29.	लक्ष्यद्वीप	42.32
30.	पांडिचेरी	82.64
		179000.00

Appointment of State Finance Commissions

2065. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the names of States which have since appointed Finance Commissions for devolution of finances to local bodies, as envisaged in the Constitution; and

(b) whether central assistance under different schemes and projects is given direct to the local bodies; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) Barring those States where the provisions of Constitution 73rd Amendment Act, 1992 are not applicable, almost all the States have Constitutted SFCs.

(b) Central assistance under rural development progammes/schemes is given directly to the District Rural Development Agencies being the implementing agencies.

Development of Wasteland in Orissa

2066. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the schemes presently being run by the Government for the development of wasteland;

(b) whether any such scheme has been launched in Orissa during the Eighth Five Year Plan period;

(c) if so, the details thereof and the funds/allocations made therefor; and

(d) the measures adopted to stop degradation of land and develop wasteland in that State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) For the development of non-forests wastelands in the country, the National Wastelands Development Board has initiated the following schemes:—

(i) Integrated Wastelands Development Project Scheme.

(ii) Support to NGOs/Voluntary Agencies (VAs).

(iii) Technology Development, Extenstion and Training Scheme.

(iv) Investment Promotional Scheme.

(v) Wastelands Development Task Force.

(b) and (c) Yes, Sir. The names of the schemes launched in Orissa State during the Eighth Five Year Plan period and the total outlay sanctioned in the schemes of the Department of Wastelands Development are given as under:—

Names of the Scheme	Total outlay (Rs. in lakhs)
Integrated Wastelands Development Projects	2003.00
Support to NGOs/V.As	26.17

(d) These schemes have made provisions for undertaking soil and moisture conservation activities viz. digging of pits, staggered trenches, countour channels, earthern check dams, rill, outlay and nala bunding to check soil erosion as well as moisture conservation before undertaking plantation viz. afforestation, pasture development, silvi-pasture, horticulture, agro-forestry etc.

These measures help stoppage of land degrdation as well as moisture conservation for a longer duration, which help the development of land as well as raising plantation activities.

स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण के अंतर्गत युवकों को रोजगार और प्रशिक्षण देना

2067. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1996 तक स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल कितने युवकों को अवसंरचनात्मक सुविधायें दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण के अंतर्गत वार्षिक रूप से कुल कितने युवक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे युवकों की संख्या कितनी है और क्या इन सभी युवकों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो रोजगार प्राप्त करने में सफल होने वाले युवकों की वार्षिक औसत क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) ट्राइसेम कार्यक्रम के दो घटक हैं। पहला घटक आवर्ती खर्च से संबंधित है जिसमें निधियां प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे, प्रशिक्षण संस्थानों/मास्टर कारीगरों आदि को मानदेय के भुगतान पर होने वाले खर्च के लिए जारी की जाती है।

दूसरा घटक ट्राइसेम प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने के नाम से जाना जाता है जिसमें निधियां प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न संस्थानों को जारी की जाती हैं। ट्राइसेम के आवर्ती खर्च के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 526.25 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है और कुल 38.89 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार, 1980-81 में ट्राइसेम कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर दिसंबर, 1996 तक प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अंश के रूप में 128.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या का पता लगाने के लिए अलग से सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती हैं जिनमें प्रशिक्षित और रोजगार में लगे युवाओं की संख्या सहित कार्य-निष्पादन के आंकड़े शामिल होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर दिसम्बर, 1996